

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास) Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110 002 Indraprastha Estate, New Delhi - 110 002

ए.एम.जी.-I/एस.ए.आर./ ई.एएस.आई.सी./7-02/2021-22/

दिनांक:

सेवामें,

বিকা হেঁ কজা যান্ডা-Finance & Accounts Branon-कर्मचारी जाज्य बीमा निगम (13.) डायरी स / Dy. No....... E-100/11-31829.11127-----

सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, पंचदीप भवन सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002

विषय : वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, **कर्मचारी राज्य बीमा निगम,** के वर्ष 2020-21 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ |

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए,जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124, को भेजी जाए |

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2020-21 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों |

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है | पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित **अस्वीकरण (disclaimer)** अंकित करें|

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय,

अन्लग्नक: यथोपरि

- Etdi

(प्रवीण कुमार सक्सेना) उप-निदेशक (ए.एम.जी-I)

D.G.A.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002 e-mail : pdahwrd@cag.gov.in

Ph.: 91-11-23702254 Fax: 91-11-23702271 ए.एम.जी.-I/एस.ए.आर./ ई.एएस.आई.सी./7-02/2021-22/652 दिनांक: **१५/11/2021** 

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्रीमति अनुराधा प्रसाद, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, नई दिल्ली -110002, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है |

कृपया उपरोक्त प्रतिवेदन को संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए

A 2462 A 1

(प्रवीण कुमार सक्सेना) उप-निदेशक (ए.एम.जी-l)

अन्लग्नक:यथोपरि

ए.एम.जी.-।/एस.ए.आर./ ई.एएस.आई.सी./7-02/2021-22/ दिनांक:

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित प्रधान निदेशक (स्वायत निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नईदिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है |

यह पत्र प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य कल्याण एवं ग्रामीण विकास) के अन्मोदन से जारी किया जा <sup>प्</sup>हा है |

अनुलग्नक:यथोपरि

(प्रवीण कुमार सक्सेना) उप-निदेशक (ए.एम.जी-l)

# Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Employees' State Insurance Corporation, Delhi for the year ended 31 March 2021.

We have audited the attached Balance Sheet of the Employees' State Insurance Corporation (ESIC) as on 31 March 2021, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Accounts for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 34 of the ESIC Act, 1948. These financial statements include the accounts of 120 accounting units of the Corporation. Out of which, accounts of ESIC Headquarters and nine units were audited and comments thereof have been considered while finalising the report. These financial statements are the responsibility of the management of ESIC. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Accounts dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by ESIC in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

#### A. Significant Accounting Policy (Schedule – 24)

A.V. As per Significant Accounting Policy No. 3, depreciation on Fixed Assets is provided on Straight Line Method at the rate specified in the Companies Act, 2013. However, scrutiny of records revealed that ESIH, Jhilmil had charged depreciation on Written down Value Method instead of Straight Line Method every year. This observation was also pointed out in the previous report for the year 2019-20.

#### B. General

**B.1** Reporting Requirement of the 'Accounting Manual of ESIC' specifies that the other than cash book as primary books of account, all Accounting Units will maintain Personal Ledger, General Ledger of all heads of Income and Expenditure.

The units (ESIC Headquarter, SRO Okhla and SRO Nandnagari) had prepared Monthly Receipt & Payment Accounts on the basis of the transactions made through vouchers/contingent bills for the year 2020-21. The details of the consolidated status provided in head-wise figures of the receipt and expenditure in the Account were not maintained in any register or ledger duly verified by competent authority.

In its reply, the ESIC stated that the necessary instruction will be issued to all accounting units in the current financial year.

**B.2** All units of ESIC including Headquarter are preparing monthly accounts in the format devised by ESIC Headquarter which contain heads for receipts, payments, assets as well as liabilities of the year. However, the consolidated assets & liabilities of the units are not ascertainable from their respective accounts, as Balance Sheet is not being prepared by the units. The units therefore, may prepare Income & Expenditure Account and Balance Sheet.

The ESIC stated that the complete details of the assets and liabilities are maintained in the field units and ERP system is stabilized in the ESIC in which complete details will be available on real time basis.

Reply is not tenable as test check of consolidated account and units' accounts revealed that the party-wise and period-wise details of advances etc. were neither maintained at unit level nor unit-wise at ESIC headquarters level.

**B.3** The ESIC has deducted the cost of land – freehold worth ₹13.61 crore on account of transfer/acquisition of five lands situated at Kozhikode, Kannur, Thrissur and Coimbatore during the period 2020-21. In this regard:

(i) Details of the transfer/acquisition of land was not disclosed either in the foot note of the respective schedule or in the Notes to Accounts of the Annual Accounts;

(ii) Detailed status of the loss/gain on account of the transfer/acquisition of five lands including documents related to deduction of ₹6.07 crore (Kannur) and ₹6.07 crore (Thrissur) were not provided.

## **B.4** Difference in the figures – Fixed Assets

It is noticed that the capitalized value of "Construction of 100 Bedded ESIC Hospital at Udaipur, Rajasthan" was taken ₹56.31 crore instead of ₹77.25 crore inadvertently, resulted in understatement of capitalized value by ₹20.94 crore and understatement of depreciation thereon.

#### **B.5** Bank reconciliation Statement

Bank reconciliation Statement is an important tool of Internal Control. Scrutiny of Bank Reconciliation Statements (BRS) of the ESIC Headquarter and 26 Regional Office/Sub-regional Office/Hospital/Branch units level revealed the un-reconciled amount (shown in Annexure - II) on which action needs to be taken.

**B.6** Differences in the figures of ESI Provident Fund account - There are differences in the figures of ESI Provident Fund Account as shown in the Receipts & Payments Accounts of GPF, GPF Broadsheets/Ledgers and those shown in Schedule – 3 (Earmarked Funds) of ESIC Accounts. This needs to be reconciled. The details are given in the Annexure – III.

In its reply, ESIC stated that the differences will be reconciled and adjusted in the current financial year i.e. 2020-21.

#### C. Grants in aid

No Grant/loan was received by ESIC from the Government during the year 2020-21.

#### D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of management of the ESIC through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said financial statements, read together with the Notes on Accounts and

Significant Accounting Policies, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure – I to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as they relate to the Balance Sheet of the state of affairs of the Employees' State Insurance Corporation as at 31 March 2021; and

b. In so far as they relate to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

J. (435

(Ashok Sinha) Principal Director of Audit (Health Welfare & Rural Development)

Place: New Delhi Date: 24.11.2021

#### Annexure I

# 1. Adequacy of Internal Audit System

a) The ESIC has an internal audit department which plans and conducts audit of all field offices on quarterly basis. Out of 120 units, 56 units were audited during 2020-21.

b) The follow up is deficient as 27189 audit paras of Internal Audit and 1328 paras of External Audit were outstanding as on 31.03.2021.

2. Adequacy of Internal Control System - The internal control requires further strengthening as:-

a) ESIC Headquarter, SRO-Okhla, and SRO-Rohini had not maintained the Fixed Assets register and Stock Register properly in the format prescribed in GFR Form 40 and GFR Form 41.
b) Fixed Assets (ESIC Headquarter): The ESIC Headquarter has charged depreciation on the opening balances and purchases of fixed assets during the period 2020-21. Disclosure of the balances in the opening balance of Fixed Assets and Depreciation charged was not shown separately (Annexure-I: Fixed Assets). The same may be worked out & disclosed separately under each heads of assets.

c) The SRO, Nandnagari had disclosed Fixed Assets of ₹ 31.77 lakh as on 31<sup>st</sup> March 2021. These details were not maintained in prescribed format for the Fixed Assets Register. Therefore, these figures could not be verified with records in audit.

d) The ESIC Headquarter has shown the value of books but totaling of the accession register was not done at any stage as on 31<sup>st</sup> March 2021.

e) Period –wise collection of the contribution /interest was called for to verify the current/prior period contribution collected by ESIC, as per their accounting policy, but the same were not provided.

3. System of physical verification of fixed assets

a) Physical verification of fixed assets is not being done regularly by all its units.

b) Physical verification of Books and Publications of ESIC Headquarter is being conducted once in 3 years and it was last conducted in December 2018 for the years 2015-18.

4. System of physical verification of inventory

The physical verification of stationery and consumable items of ESIC Headquarters had not been conducted for the year 2020-21.

5. Regularity in payment of statutory dues

As per the accounts, the status of no statutory due over six months was outstanding as on 31.03.2021 provided to audit.

### Annexure II

.

.

e1 -				T		(Amou	nt in ₹)
SL .N o.	Name of Unit	Amount Credited by Bank but not taken in cash book (Annexur e A)	Amount debited in cash book but not debited by the Bank (Annexure B)	Excess shown in the Bank closing Balance (Annexure C)	Amount debited by Bank but not taken in Cash Book(Annex ure D)	Annexure E Amount taken in Cash Book but not debited by Bank	Transactio ns/adjustm ents pertaining for the period
1	ESIC. Headquarter (Account No. 11084244187)	491896 (Annex-F)	7517533 (Annex-A)	. 70871	425405 (Annex-B)		2020 to 2021
2	RO Faridabad	-	-	-	6521948.20	-	2011 to 2021
3	RO Telangana		1612255	-	8963023.22	-	1991 to 2021

## Annexure III

(₹ in crore)

----

5				(₹ in crore)
Particulars		As per GPF Accounts	As per ESIC Accounts Schedule – 3 (Earmarked Funds)	Sheet/ Ledger Accounts made available to audit
Opening 01.04.2020 (A	Balance	1091.08	1106.48	1091.25
Receipt 2020-2		168.69	168.91	168.61
Interest 2020-2		76.06	76.66	
Sub Total D (		1336.43	1352.05	
Payment 2020		175.26	175.21	
Closing 31.03.2021 (D-E)	Balance	1161.17	1176.84	1161.16

.

क्र.सं	रित्रं महालेखापरीक्षक की अलग मसौदा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की	क.रा.बी.नि. की टिप्पणी	
	रिपोर्ट	क.रा.बा.ान. का टिप्पणा	
	हमने कराबीनि अधिनियम, 1948 की धारा	तथ्यों का कथन	
	34 के साथ पठित नियंत्रक एवं		
1	महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवम सेवा		
	की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2)		
	के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम		
	(कराबीनि) की दिनांक 31 मार्च 2021 तक		
	उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न की		
	गई बैलेंस शीट (तुलन पत्र), आय एवं व्यय		
	लेखा तथा प्राप्तियां व भुगतान खातों की लेखा		
	परीक्षा की है   इन वितीय विवरणों में निगम		
	की 120 लेखा ईकाईयों के खाते शामिल हैं		
	इनमें से, कराबीनि मुख्यालय तथा नौ इकाइयों		
	के खातों की लेखा परीक्षा की गई है तथा		
	अभ्युक्तियाँ रिपोर्ट में शामिल की गई हैं   ये		
	वित्तीय विवरण कराबीनि प्रबंधन की		
	ज़िम्मेदारी हैं   हमारी ज़िम्मेदारी है अपनी		
	लेखा परीक्षा के आधार पर इन वितीय विवरणों		
	पर अपनी राय देना	×	
	इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण,	तथ्यों का कथन	
1	सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों के साथ अनुरूपता,		
	लेखा मानकों व प्रकटीकरण मानदंड इत्यादि		
	के सम्बन्ध में केवल लेखा तरीकों पर नियंत्रक		
	एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां		
	शामिल हैं   कानून, नियमों एवं विनियमों		
	(औचित्य एवं नियमितता) के साथ अनुपालन		
	के सम्बन्ध में वितीय लेन-देन पर लेखा		
	परीक्षा टिप्पणियां तथा दक्षता-सह निष्पादन		
	नक्ष आदि, यदि कोई हों तो, के सम्बन्ध में		
· · ·	नेरीक्षण रिपोर्टों/ सीएजी की लेखा परीक्षा		
f	रेपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की		
	जाती है		
	मने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्य	तथ्यों का कथन	
₹	प से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के		

अनुसरण में की है | इन मानकों द्वारा अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की यथोचित पुष्टि प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वितीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं अथवा नहीं । लेखा परीक्षा में टेस्ट आधार पर जांच, निधियों को समर्थित करते प्रमाण तथा वितीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल होते हैं। एक लेखा परीक्षा में उपयोग किये गए लेखा सिद्धांतों का आकलन तथा प्रबंधन द्वारा किये गए महत्वपूर्ण आकलन एवं वितीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है | हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को एक यथोचित आधार प्रदान करती है | हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि : i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण तथ्यों का कथन प्राप्त किये हैं, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे ; ii) इस रिपोर्ट द्वारा देखी गई बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाते वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गए प्रपत्र में तैयार किये गए हैं; हमारी राय में, जैसा कि अभी तक iii) खाता पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है कि कराबीनि द्वारा उचित लेखा पुस्तकों तथा अन्य संगत रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है | हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि : iv महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति (अनुसूची-24) क प्रासंगिक लेखा नीति संख्या 3 के अनुसार क.1 स्थायी परिसंपतियों पर कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित दर पर निश्चित लागत

ान का पर

	विधि पर मल्यहाम की जाएक की क	
	विधि पर मूल्यहास की गणना की जाती है। तथापि, अभिनेम्गें की संरेषन	
	तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा पर पाया गया कि कर्मचारी राज्य केल कर्मचारी	वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021-
	कि कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, झिलमिल	
	ने प्रत्येक वर्ष निश्चित लागत विधि (लाइन	गए।
	मेथर्ड) की बजाय हासित मूल्य विधि (मेथर्ड)	
	पर मूल्यहास प्रभारित किया था। इस टिप्पणी	
	को वर्ष 2019-20 की पिछली रिपोर्ट में भी	
	इंगित किया गया था।	
ख	सामान्य	
ख.1		
G.I	'कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लेखा -	सभी लेखागत इकाइयों को आवश्यक
	नियमावली' की रिपोर्टिंग आवश्यकता में	अनुदेश जारी किए गए हैं। अनुपालन
	निर्दिष्ट है कि सभी लेखा इकाइयां मूल खाता-	हेतु नोट किया गया।
	बही के रूप में रोकड़ बही के अलावा आय	
	और व्यय के सभी शीर्षो का व्यक्तिगत खाता-	
	बही और सामान्य खाता-बही का अनुरक्षण	
	करेंगी।	
	इन इकाइयों (कराबीनि मुख्यालय, उप क्षेत्रीय	
	कार्यालय, ओखला तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय,	
	नन्दनगरी) ने वाउचर/आकस्मिक बिलों के	
	माध्यम से किए गए लेनदेन के आधार पर	
	वर्ष 2020-2021 का मासिक प्राप्ति एवं	
	भुगतान लेखा तैयार किया था। लेखा में प्राप्ति	
	एवं व्यय के शीर्षवार आंकड़ों में दिए गए	
	समेकित स्थिति के विवरण का अनुरक्षण	
	सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित	
	किसी रजिस्टर या खाता-बही में नहीं किया	
	गया।	
	अपने जवाब में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
	ने कहा है कि चालू वितीय वर्ष में सभी लेखा	
	इकाइयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए	
	जाएंगे।	
ख.2	मुख्यालय सहित कर्मचारी राज्य बीमा निगम	क्षेत्र इकाइयों द्वारा प्रस्तुत मासिक
	की सभी इकाइयां कर्मचारी राज्य बीमा निगम	प्राप्तियां और भुगतान लेखों के आधार
	मुख्यालय द्वारा तैयार फॉर्मेट में मासिक लेखे	5 5
	तैयार कर रही हैं, जिसमें प्राप्ति, भुगतान,	•

. 1

	कि यह गरमा रहमा के रेप्स कि जिन्ह	किए जाते हैं। पक्षवार अग्रिम एवं
	परिसंपति शीर्षों के साथ-साथ वर्ष की	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	देनदारियाँ भी शामिल हैं। तथापि, इकाइयों	अनुरक्षित की जाती हैं। इस संबंध में
	की समेकित परिसंपतियों और देनदारियों का	
	पता उनके संबन्धित लेखे से नहीं लगाया जा	अपेक्षित रिकॉडों को अनुरक्षित करने के
	सकता, क्योंकि इकाइयों द्वारा तुलन-पत्र	लिए क्षेत्र इकाइयों को आवश्यक अनुदेश
	तैयार नहीं किया जा रहा है।	जारी किए गए हैं।
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कहा है कि	
	परिसंपत्तियों और देनदारियों के पूर्ण विवरण	
	का अनुरक्षण क्षेत्र इकाइयों द्वारा किया जाता	
	है तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में स्थायी	
	ईआरपी प्रणाली है जिसमें वास्तविक समय	
	के आधार पर पूर्ण विवरण उपलब्ध होगा।	
	जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि समेकित लेखा	
	और इकाइयों के लेखे के नमूना परीक्षण से	
	पता चलता है कि अग्रिम आदि के पक्षवार	
	और अवधि-वार विवरण का न तो इकाई स्तर	
	पर अनुरक्षण किया गया है और न ही	
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्यालय	
	स्तर पर इकाई-वार अनुरक्षण किया गया है।	
ख.3		
	क.रा.बी. निगम ने वर्ष 2020-2021 की	
	अवधि के दौरान कोषिकोड, कन्नूर, तृश्शूर	अनुपालन हेतु नोट किया गया।
	और कोयम्बतूर में स्थित पांच भूमि के	
	ट्रान्सफर/अधिग्रहण के कारण ₹13.61 करोड़	
	मूल्य की फ्री होल्ड भूमि का मूल्य घटाया	
	गया है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रकट नहीं	
	किया गया :	
	(i) भूमि के ट्रान्सफर/अधिग्रहण का विवरण	
	न तो संबंधित अनुसूची के फुट नोट में और	
	न ही वार्षिक लेखे के लेखा के लिए नोट्स में	
	प्रकट किया गया;	
	(ii) ₹ 6.07 करोड़ (कन्नूर) और ₹ 6.07	कन्नूर में भूमि का विवरण उपलब्ध
	करोड़ (तृश्शूर) की कटौती से संबंधित	
	दस्तावेजों सहित पांच भूखंडों के	
	ट्रान्सफर/अधिग्रहण के कारण हानि/लाभ की	
	विस्तृत प्रस्थिति।	अगली लेखापरीक्षा में दर्शाया जाएगा।
TE A		
ख.4	आंकड़ों में अंतर - स्थायी परिसंपत्तियां	

		14 (現)
ख.5	यह देखने में आया है कि "उदयपुर, राजस्थान में 100 बिस्तर वाले क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण" का पंजीकृत मूल्य भूलवश ₹77.25 करोड़ के स्थान पर ₹56.31 करोड़ लिया गया, इसके फलस्वरूप ₹20.94 करोड़ तक पंजीकृत मूल्य की न्यूनोक्ति हुई और उस पर मूल्यहास की न्यूनोक्ति हुई बैंक समाधान विवरण आंतरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण है। क.रा.बी.निगम मुख्यालय एवं 26 क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयॉं/अस्पताल/शाखा इकाइयों के स्तर की बैंक समाधान विवरणी (बीआरएस) की जांच करने पर निम्नलिखित असमायोजित राशि का पता चला जिस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है (संलग्नक-II में दर्शाया गया)।	न जावरयक समायाजन पहले ही कर लिया गया है। अनुपालन हेतु नोट किया गया। यह एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित दकादर्यो
ख.6	सा.भ.निधि, सा.भ.निधि ब्रॉडशीट/लेजर की प्राप्तियों और भुगतान खातों में दिखाए गए क.रा.बी.नि भविष्य निधि के आंकडों में और क.रा.बी.नि.लेखों की अनुसूची-3 (चिहिन्त निधि) में दिखाया गए भविष्य निधि के आंकड़ों में अंतर हैं । इसे सुधारने की आवश्यकता है। अपने उत्तर में, क.रा.बी. निगम ने कहा है कि आंकड़ों के अंतर को सुधार लिया जाएगा और चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2020-2021 में समायोजित कर लिया जाएगा।	समाधान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
ग	वर्ष 2020-2021 के दौरान सरकार से क.रा.बी. निगम को कोई अनुदान/ऋण प्राप्त नहीं हुआ।	तथ्यों का कथन
घ	प्रबंधन पत्र जो कमियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समाहित नहीं की गई थीं उन्हें क.रा.बी. निगम के प्रबंधन के संज्ञान में प्रबंधन पत्र के माध्यम से लाया गया है जिसे उपचारात्मक/ठीक करने	लेखापरीक्षा आपति जैसा कि प्रबंधन पत्र में इंगित किया गया है, को नोट किया

	A _ ( ( ) A _ ) A A	
	की कार्रवाई के लिए अलग से जारी किया	गया। तदनुसार अनुपालन किर
	गया है।	जाएगा।
v	पूर्व के हमारे पैराओं में ली गई	तथ्यों का कथन
	आपतियों/टिप्पणियों के संदर्भ में हम सूचित	
	करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र,	
	आय एवं व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान	
	खाते लेखा बही के साथ मेल खा रहे हैं।	
vi	हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम	तथ्यों का कथन
	जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के	
	अनुसार, लेखाओं पर टिप्पणियों तथा	
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित तथा	
	उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा	
	रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 में उल्लिखित अन्य	
	मामलों के शर्ताधीन उक्त वित्तीय विवरण	
	भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किए गए	
	लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और	
	निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है :	
	क. जहां तक कि वे 31 मार्च, 2021 की	
	स्थिति के अनुसार क.रा.बी. निगम के मामलों	
	के तुलन-पत्र से संबंध रखते हैं; तथा	
	ख. जहां तक कि वे उस स्थिति को	
	समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय एवं व्यय	
	खाते से संबंध रखते हैं।	

	संलग्नक ।	
	आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता	
1.ক	क.रा.बी. निगम के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो प्रत्येक तिमाही मैं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा की योजना और संचालन करता है। वितीय वर्ष 2020-21 के दौरान 120 इकाइयों में से 56 इकाइयों का लेखापरीक्षा किया गया।	
1.ख	अनुवर्ती त्रुटिपूर्ण है क्योंकि दिनांक 31/03/2021 की स्थिति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा के 27189 लेखापरीक्षा पैरा तथा बाहय लेखापरीक्षा के 1328 पैरा बकाया थे।	1511 और 773 आतरिक लेखापराय
2	आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता - आंतरिक नियंत्रण पद्धति को आगे इस प्रकार मजबूत कर सकते हैं :- क. क.रा.बी. निगम मुख्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला ने जीएफआर फॉर्म 40 एवं जीएफआर फॉर्म 41 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अचल संपति रजिस्टर तथा स्टॉक रजिस्टर को ठीक से रखरखाव नहीं किया था। ख. स्थायी परिसंपतियाँ ( मुख्यालय,	सभी लेखा इकाइयों को आवश्य अनुदेश जारी किए गए हैं।
	ख. स्याया परिसंसाया ( पुरुषासक) क.रा.बी.नि.) : वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान मुख्यालय ने स्थायी परिसंपतियों की खरीद तथा आदि शेष पर मूल्यहास प्रभार	5

	लगाया है । स्थायी परिसंपत्तियों का आदि शेष	
	प्रकट नहीं किया गया तथा मूल्यहास प्रभार	
	अलग से नहीं दिखाया जा सका (संलग्नक ।	
	स्थायी परिसंपत्तियाँ ) इसका निराकरण किया	
	जाए तथा प्रत्येक परिसंपति के मद में अलग	
	से दर्शाया जाए ।	
ग.	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नंदनगरी ने 31 मार्च,	लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित प्रपत्र
	2021 के अनुसार रु. 31.77 लाख की स्थायी	
	परिसंपतियां दर्शाई थीं। ये विवरण निर्धारित	
	प्रारूप में स्थायी परिसंपति रजिस्टर में दर्ज नहीं	
	किए गए थे। अत: ऑडिट में उपलब्ध रिकार्डों	
	से इन आँकड़ों का सत्यापन नहीं किया जा सका	
	ा राज्या का सत्यापन नहां किया जा सका	<b>5</b> ,
		तथापि, अगली लेखापरीक्षा कि संतुष्टि
		के लिए अतिरिक्त ब्योरा प्रस्तुत किया
		जाएगा।
घ.	क.रा.बी.नि. ने किताबों का मूल्य दर्शाया है परंतु	
	किसी भी स्तर पर 31 मार्च 2021 तक	
	परिग्रहण रजिस्टर का जोड़ नहीं नहीं किया	
	गया ।	
ङ.	उनकी लेखाकरण नीति के अनुसार	वर्तमान में, वांछित सूचना आवश्यक
	अंशदान/ब्याज का अवधिवार संग्रहण मंगाया	प्रारूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि,
	गया, परंतु इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।	तदनुसार अगली लेखापरीक्षा में उपलब्ध
		कराने का प्रयास किया जा रहा है।
3	स्थायी परिसंपति के भौतिक सत्यापन की	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में
5	क्रिया	परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की
(क)		प्रक्रिया मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2020-21
	स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन	के दौरान किए गए स्थायी परिसंपत्ति के
	नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है।	भौतिक सत्यापन की समेकित इकाईवार
		सूची, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई
	· · · ·	गई।
যন	क.रा.बी. निगम मुख्यालय की पुस्तकों एवं	सामान्य वित्तीय नियमावली
দ্র	प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 3 वर्ष में एक	(जीएफआर) 194 के अनुसार, यदि
	बार किया जाता है और अंतिम बार वर्ष 2015-	पुस्तकालय के पास 20,000/-रूपमे से
		अधिक की सभी की पुस्तकों का संग्रह
	18 के लिए दिसम्बर, 2018 में भौतिक	
	सत्यापन किया गया था।	है तो पुस्तकों और प्रकाशन का भौतिक
		सत्यापन 3 वर्ष में एक बार किया जाना
		चाहिए। पुस्तकों का अगला भौतिक

1		
4	माल सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	सत्यापन दिसम्बर, 2021 में होना है और तदनुसार संचालित किया जाएगा।
5	वर्ष 2020-2021 के लिए क.रा.बी. निगम मुख्यालय की स्टेशनरी और उप-भोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।	कोविड-19 प्रकोप के कारण वर्ष 2021- 2022 के दौरान माल सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। इन्हें चालू वित्त वर्ष 2021-2022 में संचालित किया जाएगा।
5	सांविधिक बकायों के भुगतान में नियमितता	
	लेखापरीक्षा को दिनांक 31.03.2021 को उपलब्ध कराए गए लेखों के अनुसार 6 माह से कोई सांविधिक देय नहीं, की स्थिति बकाया है।	तथ्यों का कथन

. . 1